संख्या-6/2026/289/45वि/2026-(1911255)

प्रेषक,

पनधारी यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र.,
लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊः 25 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित आय-व्ययक रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आर.एस.ए.सी./लेखा/2026/3945, दिनांक 20.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-070 के अधीन लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-05-रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी को अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल स्वीकृत आय-व्ययक ₹2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष तृतीय किश्त ₹625.00 लाख (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर के भवन व परिसर में विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-4/2026/142/45वि/2026-(1911255), दिनांक 17.03.2026 दिये गये निर्देशों द्वारा व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत स्वीकृति रिमोट सेंन्सिग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तर दायित्व रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ०प्र० का होगा। अवमुक्त धनराशि का सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में व्यय विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-05-रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी को अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-7-279-X-2025-26 दिनांक 25.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।